राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर

विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की चौदहवीं बैठक
(दिनांक 15 अक्टूबर, 2014)
का

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल की चौहदवीं बैठक दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को माननीय कुलपति प्रो. ए.के गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचि संलग्नक–1 पर है।

एजेंडा सं.	प्रस्ताव एवं कार्यवाही
14/ए	विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण मौखिक रूप से माननीय कुलपति द्वारा सदन में पेश।
कार्यवाही एवं निर्णय	माननीय कुलपति महोदय प्रो. (डॉ.) कर्नल ए.के. गहलोत ने सभी सदस्यों व आगंतुकों का स्वागत करते हुये बोर्ड की पिछली बैठक के पश्चात् विश्वविद्यालय ने आशातीत प्रगति के बारे में सभी सदस्यों को अवगत करवाया। माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा हाईड्रोपोनिक तकनीक से सेवण घास की पौध विकसित करने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के विकसित होने से राज्य सरकार द्वारा चारागाह विकास की ओर किये जा रहे प्रयासों को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस तकनीक के उपयोग से घास के बीजों के जर्मीनेशन की समस्या को भी दूर करने के प्रयासों को बल मिलेगा। माननीय कुलपति ने सभी सदस्यों को यह भी विस्तार से में बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में तीन महत्वपूर्ण आयोजन किये गये । पहला, वल्लभनगर, नवानिया परिसर में भैंस उन्नयन नेटवर्क परियोजना की12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जिसमें देश में चल रही भैंस परियोजनाओं के 30 वैज्ञानिकों ने भाग लेकर परियोजना के अनुसंधान कार्यों की जानकारी दी। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रो. के.एम. एल. पाठक, उपनिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ने सूरती भैंस परियोजना, वल्लभनगर के लिए वार्षिक बजट में 30 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा भी की। दूसरा, विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर में दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 को "स्वदेशी गौ–वंश से टिकाऊ उत्पादन" पर संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रभूलाल जी सैनी, मंत्री–कृषि, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार थे। कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं प्रबंध निदेशक, आरसीडीएफ, शासन सचिव, पशुपालन, निदेशक, पशुपालन, सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि तीसरा बड़ा आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार राज्य के बाहर नई दिल्ली में आयुर्वेट लिमिटेड एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहभागी बनते हुए "खाद्य सुरक्षा में दवाओं एवं रसायनों के अवशेषों के खतरों व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन दिनांक 8–9 अक्टूबर, 2014 को किया गया।

<table>
<tr><td></td><td>सेमीनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम थे। इस अवसर पर राजुवास द्वारा इस ओर किये जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए माननीय मुख्य अतिथि द्वारा कुलपति प्रो. ए.के. गहलोत व टीम राजुवास को सम्मानित किया गया।
माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय ने अपने 15 करोड़ रूपये के बजट से विकास को आगे बढ़ाते हुए अपने बजटीय ग्राफ को 130.50 करोड़ रूपये तक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। विश्वविद्यालय को एक नया प्रोजेक्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकॉलोजी विभाग में भी प्राप्त हुआ है जिसका बजट प्राप्त हो गया है एवं प्रोजेक्ट में प्रो. जे.एस. मेहता को परियोजना का मुख्य अन्वेषक नियुक्ति किया गया है। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी बताया कि एक अन्य प्रोजेक्ट डायग्नोस्टिक इमेजिंग पर भी स्वीकृति के अंतिम चरण में है।
बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना की गई तथा आशा व्यक्त की गई कि माननीय कुलपति प्रो. ए.के. गहलोत के कार्यकाल में उनके निर्देशन में विश्वविद्यालय तीव्रोत्तर गति से प्रगति करेगा एवं नई ऊँचाइयों को छूने का प्रयास करेगा। सदन ने औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय के प्रगतिशील क्रिया–कलापों का अनुमोदन एवं प्रशंसा को अभिलिखित करने की अनुशंसा की।
माननीय कुलपति प्रो. ए.के. गहलोत के उक्त उद्बोधन के पश्चात् विभिन्न एजेन्डा पर कार्यवाही विधिवत् रूप से प्रारंभ की गई।</td></tr>
<tr><td>14/बी</td><td>प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 13.06.2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।</td></tr>
<tr><td>कार्यवाही एवं निर्णय</td><td>प्रबंध मंण्डल की दिनांक 13.060.2014 को हुई बैठक का माननीय सदन द्वारा रेजोलुशन सं. 13–जे का निम्न संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया।
संशोधन में उपकुलसचिव एवं उप वित्त नियंत्रक की निर्धारित योग्यता Note में सहायक कुलसचिव के बाद ऑब्लिक (/) लगाकर लेखाधिकारी भी जोड़ा जावे। तदनुसार निम्न प्रकार से पढ़ा जावे –
<table>
<tr><th>Existing Note</th><th>Corrected Note</th></tr>
<tr><td><u>DY REGISTRAR / DY. COMPTROLLER:</u>
" NOTE:- persons who possess a Bachelor's Degree and are already working in the RAJUVAS as Asstt. Registrar for atleast four years possessing minimum total administrative experience of 10 years would be considered eligible for the post. Experience in the cadre of Section Officer or equivalent post and above will be counted as administrative experience.</td><td><u>DY REGISTRAR / DY. COMPTROLLER:</u>
" NOTE:- persons who possess a Bachelor's Degree and are already working in the RAJUVAS as Asstt. Registrar/ <u>Accounts Officer</u> for atleast four years possessing minimum total administrative experience of 10 years would be considered eligible for the post. Experience in the cadre of Section Officer or equivalent post and above will be counted as administrative experience.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>14/सी</td><td>प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 13.06.2014 की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अनुमोदन।</td></tr>
<tr><td>कार्यवाही एवं निर्णय</td><td>प्रबंध मंण्डल की दिनांक 13.060.2014 को बैठक के कार्यवाही विवरण का सदन द्वारा अनुमोदन निम्न टिप्पणी के साथ सर्वसम्मति से किया गया–
13/क्यू–3 : यद्यपि सदन को इस बाबत कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करनी थी, फिर भी सदन द्वारा सहमति दी गई कि pension and retiral benefit liabilities thorugh REF के संबंध में स्थायी आदेश माननीय कुलपति के निर्देशानुसार वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा जारी किये जा सकते है।</td></tr>
</table>

	13/क्यू–5 : सदन द्वारा मेरिटोरियस विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय फैलोशिप/स्कोलरशिप के संबंध में नियमों आदि को मूर्त रूप देकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। 13/क्यू–6 : प्रबंध मण्डल की पूर्व बैठक के निर्णायानुसार स्टाइपेन्ड में वृद्धि संबंधी प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका है एवं इस बाबत् प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर लंबित है जिसे पुनः उठाया जाना चाहिये। 13/क्यू–7 : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के डॉ. राजकुमार द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदया को प्रस्तुत विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक रोड मेप तैयार कर लागू करने संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। इस बाबत् प्रगति आगामी बैठक में सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी। 13/क्यू–9 : लूणकरनसर के माननीय विधायक महोदय द्वारा चाहे गये एक सेवा केन्द्र को लूणकरनसर में खोलने बाबत प्रकरण को राज्य सरकार को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। 13/क्यू–10 :विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कमेटी का गठन एवं उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंशन संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। 13/क्यू–11 : विश्वविद्यालय को अब इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं करनी है। 13/क्यू–14 : माननीय सदस्यों को implementation of the concept of heritage gene bank के बारे में अवगत करवा दिया गया है। इस बाबत् सदन को और कार्यवाही नहीं करनी है। 13/क्यू–15 : माननीय सदस्यों को रिवॉल्विंग फण्ड के निर्माण की स्थिति से अवगत करवा गया। सदस्यों के मतानुसार विश्वविद्यालय की सभी ईकाइयों को उनके स्तर पर रिवॉल्विंग फण्ड बनाने संबंधी प्रस्ताव विश्वविद्यालय को भेजने संबंधी निर्देश जारी किये जाने चाहिये। इस संबंध में वित्त नियंत्रक सभी ईकाइयों को पत्र जारी करेंगे। 13/क्यू–18 : सदन द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रथम चरण में किये गये प्रयासों को सराहा गया तथा महसूस किया गया कि शेष पदों को भरने के लिए भी उचित समय पर कार्यवाही की जानी चाहिये।
14/डी	वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 06.08.2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन
कार्यवाही एवं निर्णय	सदन द्वारा वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 06.08.2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन इस आशय के साथ किया गया कि भविष्य में वित्त समिति के एजेन्डा की प्रति को भी प्रबंध मण्डल के बैठक में प्रस्तुत किया जावे तथा साथ में बजट संबंधी भविष्य की योजनाओं को भी वित्त समिति के एजेन्डा में शामिल करवाया जावे। सदन ने माननीय सदस्य डॉ. उमेश चन्द्र अग्रवाल के इस सुझाव का अनुमोदन किया कि विश्वविद्यालय को अधिक से अधिक केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं हेतु परियोजनाएं बनाकर अग्रेषित करनी चाहिये।
14/ई	With reference to Res. No. 11/K of the meeting of Board of Managment dated 30.06.2013, to consider the issues of the employees taken by the High Power Committee, at point No. 4 & 5 of its meeting held on 27.06.2013.
कार्यवाही एवं निर्णय	उच्चाधिकार समिति की उपरोक्त संदर्भित अनुशंषा पर चर्चा करते हुए माननीय सदन द्वारा बिन्दू सं. 4 में अंकित कर्मचारियों को अर्द्धसरकारी उनकी नियुक्ति तिथि से दो वर्ष

	की निरंतर (बिना ब्रेक के) सेवा पूर्ण होने की तिथि एवं बिन्दू सं. 5 में अंकित पोल्ट्री अटेन्डेन्ट के पद पर कार्यरत सहायक कर्मचारियों को उनकी केटल अटेन्डेन्ट/डेयरी अटेन्डेन्ट के पद के समकक्ष वेतनमान संबंधी एजेन्डा का अनुमोदन किया।
14/एफ	विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।
कार्यवाही एवं निर्णय	सदन में प्रस्तुत विश्वविद्यालय द्वारा पारित सभी आदेशों (पृष्ठ सं. 119–180) का अनुमोदन किया गया।
14/जी	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.37(5)आर.बी./2014/4961 दिनांक 04.08.2014 के द्वारा महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया द्वारा माननीय कुलपति महोदय को दी गई बधाई को बताया गया।
कार्यवाही एवं निर्णय	सदन द्वार महामहिम कुलाधिपति का आभार व्यक्त किया गया। सदन द्वारा भी इस बाबत् माननीय कुलपति महोदय को बधाई देते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा समय में की गई प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की।
14/एच	रिपोर्ट राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.9(13)पपा/2013 पार्ट दिनांक 21.06.2013 निजी क्षेत्र में स्थापित पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालयों में स्नातक कोर्स में विधिक रीति अनुरूप प्रवेश लेकर उत्तीर्ण पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान स्नातकों का राजस्थान राज्य पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकरण के संबंध में अनुमति।
कार्यवाही एवं निर्णय	सदन में प्रस्तुत राज्य सरकार के उक्त पत्र का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन एवं अंगीकृत किया गया।
14/आई	राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.9(10)पपा/2013 दिनांक 27.08.2014 राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर एवं पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानियां, वल्लभनगर दोनों संघटक (सरकारी) महाविद्यालया में B.V.Sc.& A.H. प्रवेश क्षमता (Intake Capacity) क्रमशः 75–60 से बढ़ाकर क्रमशः 100–100 करने की अनुमति।
कार्यवाही एवं निर्णय	सदन में उपस्थित सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा द्वारा बीकानेर एवं उदयपुर स्थित वेटरनरी कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाये जाने पर प्रसन्न्ता जाहिर की एवं विश्वास जताया कि इन कॉलेजों में स्थित सुविधाओं और मानव संसाधनों का औरं अधिक समुचित उपयोग हो सकेगा। सदन द्वारा इस बाबत् औपचारिक अनुमोदन भी पारित किया गया। सदन द्वारा विश्वविद्यालय को तदनुसार कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया।
14/जे	To report the order No. 52-16/2014-LDT(vc) dated 29th September 2014 from the Asstt. Commissioner (AH) Department of Animal Husbandry, Dairing & Fisheries, Ministry of Agricultural, Govt. of India, New Delhi pertaining to inclusion of degree of Appolo College of Veterinary Medicine, Jaipur and Mahatma Gandhi College of Veterinary Science, Bharatpur in first schedule of Indian Veterinary Council Act 1984, for the purpose of recognition of B.V.Sc. & A.H. degree directies of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 25.07.2014 given in SLP No. 35057/2011.
कार्यवाही एवं निर्णय	सदन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अवलोकन किया एवं तदनुसार विश्वविद्यालय को कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

14/के	अन्य कोई एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति।
14/K-1	With reference to Res. No. 7/H of the Board of Management meeting held on 09.09.2012, to consider adopting the Notification No. F. 12 (6)FD/Rules/2005 dated 23.09.2014 from the Finance Department, Rules Division of the Government of Rajasthan in Direct Recruitment of Teacher's & Officers of RAJUVAS
कार्यवाही एवं निर्णय	सदन द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेशों का विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अधिकारियों के सीधी भर्ती के मामलों में लागू करने की हेतु स्वीकार किया गया।
14/L	With reference to Res. No. 7/H of the Board of Management meeting held on 09.09.2012, to consider adopting the Notification No. F. 12 (6)FD/Rules/2005 dated 23.09.2014 from the Finance Department, Rules Division of the Government of Rajasthan in Direct Recruitment of Teacher's & Officers of RAJUVAS
कार्यवाही एवं निर्णय	सदन द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेशों का अवलोकन किया गया एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अधिकारियों की सीधी भर्ती के प्रकरण में लागू करने की सहमति जताई।
14/M	To consider to constitute a committee by associating external experts to draft statutes, ordinances Regulations etc. as per RAJUVAS Act, 2010.
कार्यवाही एवं निर्णय	सदन द्वारा विश्वविद्यालय के statutes, ordinances Regulations की आवश्यकता महसूस करते हुए इस संबंध में इससे संबंधित एक ड्राफ्ट तैयार की अनुशंषा की गई।
14/N	To consider the matter of issuing of revised Provisional Degree Certificate in light of the decision of the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of ACVM, Jaipur and MGVC, Bharatpur dated 25th July, 2014 and the consequent gazette notification issued vide No. 52-16/201-LDT (vc) dated 29th September, 2014 from the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Government of India.
कार्यवाही एवं निर्णय	After detailed discussion on this agenda, it was resolved that looking to the exigency in matter, a notification/order to this effect may be issued advising the Controller of Examinations to issue the revised PDC only to those candidates who surrender their original PDC awarded by SKRAU,, Bikaner, giving a reference of the decision of the Hon'ble Supreme Court of India, Gazette notification of the Govt. of India as well as decision of the University at appropriate place on the revised PDC. It was also resolved that the decision of the house should be put up to the Academic Council in its next meeting.
14/O	To consider request dated 11/13 Oct. 2014 of Dr. (Mrs.) Sunanda Sharma (a candidate who was selected and appointed as Associate Professor of Veterinary Gynecology & Obst.) seeking permission for joining on the post of Associate Professor after expiry of joining period.
कार्यवाही एवं निर्णय	The House discussed the matter in length and resolved that Hon'ble Vice-Chancellor and Chairman of the Board may consider the facts submitted by Dr. (Mrs.) Sunanda Sharma, selected on the post of Associate Professor, CVAS, Navania, Vallabhnagar, on sympathetic grounds with the condition that the right of other(s) candidates in the panel (Main and/or reserved) are not suffered on account of this. She may be allowed to join on the post within the 10 days of issue of letter to this effect.

	The House also authorized the Hon'ble Vice-Chancellor to allow such other candidate(s), if any, after examining the case, keeping in view the conditions that right of other(s) candidates in the panel (main and/or reserved) are not effected/suffered and the vacant post is available.
14/P	In compliance with the order dated 16.07.2014 passed by Hon'ble Rajasthan High Court, Bench Jaipur in SBC Writ Petition No. 10163/2011 Pradeep Kumar Sen V/s State of Rajasthan and Ors., to consider
कार्यवाही एवं निर्णय	The House was made aware that on account of decision of Hon'ble Rajasthan High Court, Bench Jaipur, the concerned student was provided admission.and resolved to confirm the action taken by the Hon'ble Vice-Chancellor and authorized him to take any further action, if required or deemed fit, in the matter, in future.
14/Q	The University should develop a structure of second-in-command in all three activities of teaching, research and extention and other offices.
कार्यवाही एवं निर्णय	The agenda camp up during informal discussion regarding need to develop a structure of second in command to improve functioning as well as administration. The House authorized the Hon'ble Vice-Chancellor to take all necessary steps in this regard.

The meeting ended with a vote of with thanks to the Chair.

—Sd—
(Dr. Rakesh Rao)
REGISTRAR

No. F.(2)/RAJUVAS/Estt/BOM-11/2014/ 461 Dated: 1/11/14

Copy for information and necessary action to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble Governor and Chancellor, Raj Bhawan, Jaipur (Raj.)
2. PS to Vice-Chancellor, RAJUVAS, Bikaner for kind perusal of the Hon'ble Vice-Chancellor.
3. All Hon'ble members of Board of Management, RAJUVAS, Bikaner.
4. All Deans/Directors/University Officer, RAJUVAS, Bikaner.

Rakesh Rao 1/11/14
(Dr. Rakesh Rao)
REGISTRAR

Annexure-1

1.	Dr. A.K. Gahlot, Hon'ble Vice-Chancellor, RAJUVAS	**In Chair**
2.	Dr. Umesh Agarwal, Nominee, Sec., A.H., GOR	Member
3.	Dr. C.P.Singh, Nominee, Director, A.H., GOR	Member
4.	Dr. J.S. Bhatia, ADG(Retd.), Animal Science, ICAR	Member
5.	Dr. B.K. Beniwal, Dean, CVAS, Bikaner	Member
6.	Dr. Tribhuwan Sharma, Director, P.M.E.	Member
7.	Sh. Y.K. Singh, Comptroller	Invitee
8.	Dr. G.S. Manohar, Dean, PGS	Invitee
9.	Dr. Rakesh Rao, Director Research	Invitee
10.	Dr. S.S. Soni, C.O.E.	Invitee
11.	Sh. Basant Kumar Acharya, Director Works	Invitee
12.	Dr. Anil Kumar, O.S.D.	Invitee
13.	Dr. D.S. Meena, Liaison Officer	Invitee
14.	Sh. Prema Ram Parmar, Registrar	**Member Secretary**

1/11/14